

नगर पालिका, नवलगढ

(राजस्थान नगरपालिका अधिनियम 2009 की धारा के अन्तर्गत)

अनापत्ति प्रमाण पत्र

आवेदन नं.: LSG/NAWALGARH/FIRENOC/2026-27/67545
जारी दिनांक: 18-SEP-2026 वैधता दिनांक: 17-SEP-2028

प्रेषित-

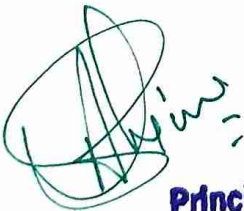
आवेदक का नाम श्री/श्रीमती: VIJENDRA SINGH
आवेदक का पता: GHOM CHAKKAR WARD NO 07 NAWALGARH JHUNJHUNU

विषय:- अग्निशमन अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी करने बाबत

आपके भवन GAUTAM BALIKA VIDYAPEETH SANSTHAN, VEDIC VALLEY HIGH SCHOOL, KHASRA NO 278 JHAJHAR ROAD, DHAKA KI DHANI, NAWALGARH, JHUNJHUNU, RAJASTHAN का निरीक्षण किया गया निरीक्षण के दौरान अग्नि सुरक्षा उपकरण सही पाए गए अतः उपरोक्त सुरक्षा व्यवस्था के अनुसार निम्न शर्तों पर पाबंद करते हुए यह स्थाई (Permanent) अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी किया जाता है।

शर्त:-

1. अग्निशमन उपकरण समयवधि में रीफिल कराना होगा।
2. निरीक्षण के दौरान आवश्यक दिशा निर्देशों का पालन करना आवश्यक होगा।
3. फायर वाहन आसानी से आ जा सके इसके लिए पर्याप्त खुला स्थान अवरोध रहित रखना होगा।
4. भवन के अंदर किसी भी प्रकार का विस्फोटक पदार्थ व अति ज्वलनशील पदार्थ नहीं रखा जावे।
5. रोप लेडर व दो रस्सा भवन के सभी टावर में टावर कि उंचाई जितना हर समय भवन में रखना होगा।
6. यह अग्नि सुरक्षा प्रमाणपत्र अग्नि सुरक्षा की दृष्टि से ही मान्य होगा।
7. यदि राज्य सरकार या निगम द्वारा भविष्य में कोई नियम/उपनियम जारी किया जाता है तो प्रबंधक को मान्य होगा।
8. भवन का मुख्य अग्निशमन अधिकारी द्वारा कभी भी निरीक्षण किया जा सकेगा व फायर सिस्टम कार्यरत नहीं पाए जाने कि स्थिति में यह अभिशंका पत्र निरस्त माना जाएगा।
9. पानी के टैंक हर समय भरे रखने होंगे व पम्प व पूरा फायर सिस्टम 24 घण्टे कार्यशील स्थिति में रखने को बाध्य होंगे।
10. फायर सिस्टम को चलाने हेतु 24 घंटे फायर प्रशिक्षित कर्मचारी रखने होंगे तथा ए एम सी करवायी जाकर सिस्टम का रख रखाव व संचालन करना अनिवार्य होगा।
11. भूमि व भवन संबंधित किसी भी प्रकार के विवाद हेतु यह पत्र बतौर साक्ष्य मान्य नहीं होगा एवं इस बाबत आवेदक स्वयं उत्तरदायी होगा।
12. यह अनापत्ति प्रमाण पत्र रूफटॉप रेस्टोरेट के लिए मान्य नहीं हैं। जिस भाग के लिए अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी किया जा रहा है वहा पर रूफटॉप रेस्टोरेट का संचालन पूर्णतया प्रतिबंधित रहेगा।
13. अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी करने की तिथि से एक वर्ष की अवधि हेतु ही मान्य होगा। एक वर्ष बाद अनापत्ति प्रमाण पत्र का नवीनीकरण किया जाना आवश्यक होगा, अन्यथा अनापत्ति स्वतः निरस्त मानी जावेगी।
14. भवन के समस्त स्टाफ व सिक्योरिटी गार्ड्स को वर्ष में कम से कम दो बार अग्निशमन विभाग द्वारा प्रशिक्षण दिलाना आवश्यक होगा।
15. शर्त सं0 अन्तिम अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी करने की तिथि से प्रत्येक एक वर्ष की अवधि के बाद में नगरपालिका के अग्निशमन अधिकारी/अधिकृत कार्मिक से फायर से सम्बन्धित उपकरणों का निरीक्षण करवाना होगा तथा निरीक्षण के दौरान फायर उपकरण सुचारु रूप से संचालित नहीं पाये जाने पर उपकरणों को दुरुस्त करवाकर निरीक्षण रिपोर्ट प्राप्त करनी होगी अन्यथा अनापत्ति प्रमाण पत्र स्वतः निरस्त माना जावेगा।



Principal
Vedic Valley High School
Nawalgarh



MANAGER
Vedic Valley High School
Nawalgarh

Digitally signed by POONAM CHAND
NAI
Designation: DC-EO-COMM.
Date: 2026-09-18 14:34:17 IST
Location: NAWALGARH, RAJASTHAN

v-2.1

अग्निशमन अधिकारी
नगर पालिका, नवलगढ